सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः573 /सो.आ.नि.–318(II)/2017
दिनाँकः22 दिसम्बर, 2017

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर तथा कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः **सोशल आडिट टीमों के गठन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या 363/सो.आ.नि.–318(II)/2017 दिनांक 04–9–2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सोशल आडिट टीमों के गठन के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करने निर्देश निर्गत किए गये हैं।

2– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 15–12–2017 को निदेशालय स्तर पर आयोजित जिला विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आये कि सोशल आडिट टीमों के पैनल तैयार किए जाने हेतु कुछ और अतिरिक्त समय दिया जाना उपयुक्त होगा। समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सोशल आडिट टीमों के पैनल तैयार किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र प्राप्त करने की तिथि 12 जनवरी, 2018 तक बढ़ा दी जाये। तत्क्रम में, निम्नवत् प्रारूप पर विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जाना हैः–

....

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद ....

सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु विज्ञप्ति

(उ0प्र0 सोशल आडिट संगठन (पंजीकृत सोसाइटी) के अधीन)

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक .... के क्रम में विकास खण्ड .... के लिए सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में पैनल पर नामित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन–पत्र जिला विकास अधिकारी कार्यालय में **दिनांक 12 जनवरी, 2018 तक** प्राप्त करा सकते हैं। पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मान्य होंगे और उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

जिलाधिकारी

....

Rks/desktop/gen.letters

अनुरोध है कि यदि आपके जनपद के विकास खण्डों में निर्धारित/वांछित संख्या में सोशल आडिट टीमों का गठन न हो पाया तो सोशल आडिट टीमों के पैनल तैयार किए जाने हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 12 जनवरी, 2018 तक बढ़ाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन अधिकतम 4x6 सेमी. (लम्बाईxचौड़ाई) साइज में सूचना विभाग की दरों पर अपने जनपद के पूर्व में प्रकाशित समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें। जनपद के जिन विकास खण्डों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जायेगा, वहॉ पर पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मान्य होंगे और उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। **यदि आपके जनपद के विकास खण्डों में निर्धारित संख्या में सोशल आडिट टीमों का गठन हो गया हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं है।**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजवर्धन)
निदेशक

Rks/desktop/gen letters